COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(73)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/आयुक्त महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.
कैम्प भोपाल

निगरानी- 5659/2018/भोपाल/भू.रा. निगरानी प्रकरण क्र. ..../2018

डॉ. रामपति प्रसाद द्विवेदी तनय स्व. श्री रामप्रगाश द्विवेदी,
आयु लगभग 68 वर्ष,
निवासी पत्रकार द्विवेदी कॉलोनी,
खजूरी कलां, भोपाल (म.प्र.) ... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

... अनावेदकगण

(1) सर्वसाधारण व अन्य
(2) भग्गूराम पाल तनय स्व. श्री छीगुरराम, शिव संगम नगर, खजूरी कलां, भोपाल

निगरानी आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

यह कि निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, एम.पी. नगर वृत्त के हल्का राजस्व निरीक्षक खजूरी कलां, भोपाल के प्रकरण क्रमांक-37/अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 07/07/2018 से व्यथित, क्षुब्ध एवम् परिवेदित होकर निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवम् आधारों पर प्रस्तुत है:-

आवे.प्र. अधि.भाषक श्री एम. उल्क मिश्रा द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत 28/8/18

तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व, स्वामित्व एवम् आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक-215/2/क, 215/2/ख रकवा क्रमशः 0.24 एवम् 0.29 एकड़ कुल रकवा 0.53 एकड़ अर्थात् 0.214 हेक्टेयर, ग्राम खजूरी कलाँ, पटवारी हल्का क्रमांक-19, विकास खण्ड फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है ।

2. यह कि निगरानीकर्ता ने दिनांक 13/03/2018 को आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 129 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 सीमांकन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, एम.पी. नगर वृत्त, भोपाल के समक्ष खसरा क्रमांक-215/2/क, 215/2/ख रकवा क्रमशः 0.24 एवम् 0.29 एकड़ कुल रकवा 0.53 एकड़ अर्थात् 0.214 हेक्टेयर, ग्राम खजूरी कलाँ, पटवारी हल्का क्रमांक-19, विकास खण्ड फन्दा का प्रस्तुत किया था ।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के खजूरी वृत्त के राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 04/07/2018 को पारित किया कि आपत्तिकर्ता भग्गूराम पाल व रामपति द्विवेदी के मध्य न्यायालय में वाद प्रचलित है । अतः माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने से निर्णय पूर्व सीमांकन किए जाने पर विवाद बढ़ने एवम् निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। माननीय न्यायालय के निर्णय बाद ही सीमांकन किया जाना उचित होगा । अतः सीमांकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । जिसे तहसीलदार ने दिनांक 07/07/2018 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन निरस्त किया गया है, प्रकरण समाप्त होकर दाखिल दफ्तर हो ।

4. यह कि आपत्तिकर्ता भग्गूरामपाल तनय छींगुरराम पाल निवासी 5-ए, शिव संगम नगर , खजूरी कलां, भोपाल द्वारा माननीय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, व्यवहार न्यायालय, भोपाल के समक्ष वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा बावत् प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायालय स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से प्रतिवादी को यह आदेशित करें कि उक्त दुराशय एवम् साठ्गांठ के चलते तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत बटान संशोधन के विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त बटान संशोधन के माध्यम से किसी भी प्रकार से वादी के आधिपत्य को दूषित न कर सके एवम् राजस्व अधिकारीगण के सहयोग से वादी की भूमि पर अवैध रूप से ... स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5659/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार नजूल एम.पी. नगर वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नजूल एम.पी. नगर वृत्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	